महत्वपूर्ण

पत्र सं0-स्था-6-सामान्य कोविड-19/2021-22/ 5020 /वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 28 जनवरी, 2022

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020 दिनांक 27.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को रोकने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत् शारीरिक रुप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित कराने हेतु अधिकृत किये जाने एवं इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहने हेतु तथा आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020, दिनांक 25.01.2022 द्वारा निर्देश निर्गत किये गए हैं।

तत्क्रम में शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25.01.2022, शारीरिक रुप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं पर प्रभावी है, इसके अतिरिक्त समस्त समूह-"ख", समूह-"ग "एवं समूह-"घ" के कार्मिक के सम्बन्ध में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति एवं साप्ताहिक रोस्टर सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2022/03/सामान्य/का-4-2022, दिनांक 13.01.2022 द्वारा निर्गत निर्देश भी यथावत् लागू रहेंगे।

अत: उक्त के क्रम में शासन के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.01.2022 द्वारा सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

28/01/2022

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या- 3/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020
लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को रोकने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किये जाने एवं इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहने हेतु तथा आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाये जाने के संबंध में कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020, दिनांक 25 जनवरी, 2022 द्वारा निर्देश निर्गत किये गए हैं।

2- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 जनवरी, 2022, शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं पर प्रभावी है, इसके अतिरिक्त समस्त समूह- 'ख', समूह- 'ग' एवं समूह- 'घ' के कार्मिकों के संबंध में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपस्थति एवं साप्ताहिक रोस्टर संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2022/03/सामान्य/का-4-2022, दिनांक 13 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत निर्देश भी यथावत लागू रहेंगे ।

राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-3/2022/16(1)/संघ/का-4-2022/303/2020 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

जय प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

27-1-2022

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।